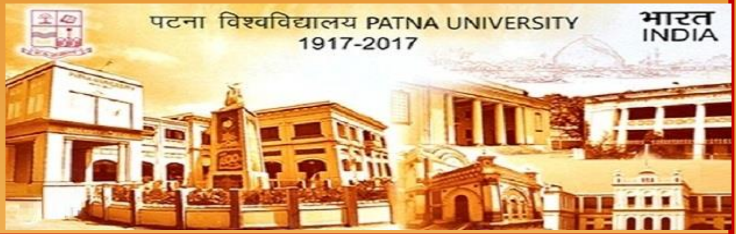

Patna University In News (30.12.2022)

प्रभात खबर

थीसिस में नकल करते पकड़े गये तो रद्द हो सकता है पीएचडी का रजिस्ट्रेशन

चोरी पकड़ी गयी तो सुपरवाइजर पर भी होगी कार्रवाई

संवाददाता, पटना

पीएचडी के थीसिस में अब चोरी नहीं चलेगी. चोरी पकड़े जाने पर मुश्किल खड़ी हो सकती है. यूजीसी द्वारा जारी नये नियमों के अनुसार थीसिस में प्लेगरिज्म यानी साहित्य चोरी पाये जाने और डिग्री मिल जाने की स्थिति में शिक्षकों को वेतन वृद्धि और नये छात्रों के सुपरविजन के अधिकार नहीं दिये जायेंगे. वहीं शोधार्थी दोषी पाया जाता है तो उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है. यूजीसी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर चोरी पकड़ी गयी तो शोधार्थी का रजिस्ट्रेशन रद्द होने के साथ ही शोध कराने वाले प्रोफेसर्स की नौकरी पर भी संकट पड़ सकता है. इसके लिए यूजीसी ने नयी गाइडलाइन जारी कर दी है. यूनिवर्सिटी, कॉलेज, शोधार्थी और शोध कराने वाले शिक्षक नये गाइडलाइन को यूजीसी के वेबसाइट पर देख सकते हैं. इससे

पहले भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा और साहित्य चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम, 2018 को जारी किया था. पुराने नियम में कुछ संशोधन कर इसे जारी किया गया है. प्लेगरिज्म के लिए दंड का प्रावधान किया गया है.

पीयू में एक साल में 490 पीएचडी थीसिस का हुआ प्लेगरिज्म : पीयू कुलपति प्रो गिरीश कुमार चौधरी ने बताया है कि पीयू ने एक वर्ष में 490 पीएचडी थीसिस, 45 निबंध व 35 आर्टिकल का प्लेगरिज्म चेक किया गया है. अगर थीसिस में 10 प्रतिशत तक समानता या मामूली समानता पाया जाता है तो इसे लेवल 'शून्य' में रखा जाता है. इसमें दंड नहीं है. लेवल एक में अगर किसी के थीसिस में 10 से 40 प्रतिशत तक समानता में शोधार्थी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा. छह महीने में संशोधित स्क्रिप्ट जमा करने के लिए कहा जाता है.

इस लेवल में रहने पर ज्यादा होती है परेशानी

लेवल दो : 40 से 60 प्रतिशत तक के समानताएं रहने पर एक साल तक संशोधित आलेख नहीं जमा कर सकते है. अतः पुनः एक साल के बाद ही संशोधित थीसिस जमा हो सकता है. शोध कराने वाले शिक्षकों को भी एक साल तक इन्क्रिमेंट नहीं मिलेगा व दो सालों तक सुपरवाइजर बनने पर रोक लगेगी.

लेवल तीन : 60% से अधिक समानताएं रहने पर रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा. अगर डिग्री मिल चुकी है तो मैन्युस्क्रिप्ट वापस लेना होगा. वहीं गाइड को दो सालों तक इन्क्रिमेंट नहीं मिलेगा, तीन सालों तक किसी नये स्कॉलर का सुपरवाइजर बनने पर रोक.